सुमतिबाई व अन्य

बनाम

पारस फाईनेंस कम्पनी रजि० साझेदारी फर्म ब्यावर (राजस्थान) जरिये श्रीमति मानकंवर पत्नि पारसमल चौरडिया मृतक व अन्य

अक्टूबर 4, 2007

(ए के माथूर व मार्कंडेय काटजू, जे.जे.)

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 - आदेश 22 नियम 4 (2) सपठित आदेश 1 नियम 10 - प्रार्थना पत्र विधिक प्रतिनिधियों द्वारा-पोषणीयता-विक्रय अनुबंध के विशिष्ठ अनुपालना के लिये वाद-वाद लंबित रहने के दौरान क्रेता की मृत्यु-विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाया गया लेकिन उनका अतिरिक्त लिखित बयान पेश करने का आवेदन खारिज किया गया। शुद्धता-संपत्ति मृतक और उसके पुत्रों के पक्ष में खरीदी गयी थी-वे समान रुप से स्वामित्व रखते थे और वे केवल व्यस्त निकाय या हस्तक्षेपकर्ता नहीं है-उनको केवल मात्र पक्षकार बनने की अनुमति दी है लेकिन अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति नहीं दी है जो कि प्राकृति न्याय के सिद्धांत का उल्लघंन होगा-इस प्रकार निचली अदालत का अतिरिक्त लिखित बयान पेश करने के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाने का आदेश रद्द किया गया।

'के' ने प्रतिवादी को अपनी सम्पत्ति बेचने का इकरारनामा किया। प्रतिवादी ने 'के' के खिलाफ विक्रय अनुबंध के विशिष्ट अनुपालना हेतु मुकदमा दायर किया। दावा लंबित रहने के दौरान 'के' की मृत्यु हो गयी और उसके विधिक प्रतिनिधि-अपीलकर्ताओं ने आदेश 4 नियम 2 सपठित आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर अतिरिक्त लिखित बयान पेश करने हेतु अनुमति चाही और जो दलीलें उनके लिये उपलब्ध थी उन्हें लेने की अनुमति दी गयी। विचारण न्यायालय ने अर्जी खारिज कर दी। पीडित अपीलकर्ताओं ने पुनरीक्षण याचिका दायर की जिसे खारिज किया गया। इसलिये यह अपील पेश की गयी।

न्यायालय ने अपील स्वीकार की।

प्रतिपादित- 1.1 प्रत्येक पक्षकार को लिखित कथन पेश करने का अधिकार है। एक पक्षकार को यह अधिकार है कि वह जो दलील लेना चाहे वह ले सकता है। यह प्राकृतिक न्याय के अनुरुप है। सिविल प्रकिया संहित वास्तव में प्राकृतिक न्याय के नियम है जो बडे व विस्तृत नियत में निर्धारित हैं जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करना है।

1.2 यह पूर्ण रुप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है जब ए द्वारा बी के विरुद्ध विशिष्ट अनुपालना का दावा दायर किया जाता है तो किसी तीसरे पक्ष सी को उस मुकदमें में शामिल नहीं किया जा सकता। यदि सी

उचित स्वामित्व या अपना हित न्यायालय के समक्ष दिखाता है तो वह पक्षकार बनने के लिये आवेदन दायर कर सकता है। यदि विपरीत दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो कार्यवाहियों की बहुलता हो जायेगी क्योकि तब सी को बी के खिलाफ डिक्री पारित होने का इंतजार करना होगा और फिर इस आधार पर डिक्री को रद्द कराने के लिये मुकदमा दायर करना होगा कि ए के पास विवादित संपत्ति का कोई स्वामित्व नहीं था। जाहिर है इस तरह के नजरिये को प्रतिपालन नहीं किया जा सकता।

2.1 मौजूदा मामले में पंजीकृत विक्रय विलेख जिसके द्वारा संपत्ति खरीदी गयी थी, यह दर्शाता है कि विवादित दुकान ना केवल के बल्कि उसके बेटों के पक्ष में भी बेची गयी थी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विवाद में संपत्ति के खरीददार केवल 'के' ही नहीं बल्कि उनके बेटे भी थे। इसलिये, यह नहीं कहा जा सकता कि 'के' के पुत्रों के पास उपाधि की कोई झलक नहीं है और वे केवल व्यस्त निकाय या हस्तक्षेपकर्ता हैं। 'के' के कानूनी प्रतिनिधियों को यह बचाव लेने का अधिकार है, चाहे वह सहमालिक हो या नहीं, एक अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करके और मुकदमें में सबूत पेश करके बेशक, यह बचाव स्वीकार किया जाता है या नहीं यह विचारण कोर्ट को तय करना है।

2.2 अपीलकर्ताओं को मुकदमें में पहले ही पक्षकार बनाया जा चुका है लेकिन यह अजीब होगा अगर उन्हे बचाव पक्ष लेने की अनुमति नहीं दी

गयी। केवल इसीलिये कि कुछ आवेदन पहले खारिज कर दिये गये हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि स्वर्गीय के के कानूनीय प्रतिनिधियों को अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वास्तव में, इन कानूनी प्रतिनिधियों को केवल पक्षकार बनाने की अनुमति देने लेकिन उन्हें अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति नहीं देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह स्पष्ट रुप से प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होगा इसलिये निचली अदालतों ने अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने के लिये के के उतराधिकारियों के आवेदन को खारिज करके कानूनी गलती की है। उच्च न्यायालय के साथ साथ विचारण न्यायालय आक्षेपित आदेशों को सेट असाईड किया जाता है। अपीलकर्ताओं को अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी जाती है एवं इसके पश्चात् दावा शीघ्रता से विधि अनुसार विचारण के निर्देश प्रदान किये गये।

कस्तूरी बनाम इयमपेरुम्मल व अन्य 2005, 6 एससीसी 733 प्रतिष्ठित उडीसा राज्य बनाम सुधांशु शेखर मिश्रा, एआईआर 1968 एससी; अम्बिका क्वारी वर्क्स बनाम गुजरात राज्य व अन्य, 1987, 1 एससीसी 213; भावनगर बी यूनिवर्सिटी बनाम पलिताना शुगर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड, 2003, 2 एससी 111; भारत पेट्रोलियिम कार्पोरेशन लिमिटेड व

अन्य बनाम एन आर वेरामनी व अन्य, एआईआर 2004, एससी, 4778, संदर्भित;

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 117 सन् 2001

राजस्थान के उच्च न्यायालय जोधपुर के एसबी सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 835 वर्ष 1997 में निर्णय व अंतिम आदेश दिनांक 07.01.2000 से।

बी डी शर्मा, नरोत्त्म व्यास और विक्रमजीत सिकंद अपीलार्थी की ओर से।

सुशील कुमार जैन, एच डी थानवी और पीयूष जैन प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय मार्कंडेय काटजू, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. यह अपील एसबी सिविल रिवीजन याचिका संख्या 835/1997 दिनांक 7.1.2000 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

2. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

3. विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 6.8.1997 के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसके

तहत आदेश 22 नियम 4(2) सीपीसी के साथ पठित आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत संशोधनकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया गया था।

4. अपीलकर्ता स्वर्गीय कपूर चंद के कानूनी प्रतिनिधि हैं। विक्रय संविदा की विशिष्ट अनुपालना के लिए कपूर चंद के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि कपूर चंद ने वादी-प्रत्यर्थी मेसर्स पारस फाईनेंस कंपनी को विवादित संपत्ति बेचने के लिए एक इकरारनामा किया था। उस इकरारनामा में कपूर चंद ने कहा कि विवादित संपत्ति उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति थी। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान कपूर चंद की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी, बेटों आदि ने कानूनी प्रतिनिधि के रूप में रिकॉर्ड पर लाने के लिए आवेदन किया। उन्हें पक्षकार बनाए जाने के बाद उन्होंने सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के साथ पठित आदेश 22 नियम 4(2) सपठित आदेश 1 नियम 10 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा प्थर् की गई कि उन्हें अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी जाए और ऐसी दलीलें लेने की भी अनुमति दी जाए जो उनके लिए उपलब्ध हैं। विचारण न्यायालय ने इस आवेदन को खारिज कर दिया जिसके खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा एक पुनरीक्षण दायर किया गया था जिसे

उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया था। अतः विशेष अनुमति द्वारा यह अपील दायर की गई।

5. हमारी राय है कि किसी भी पक्ष को यह अधिकार है कि वह जो भी दलील लेना चाहे ले, और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही प्रतीत नहीं होता है।

6. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आदेश 22 नियम 4(2) के अन्तर्गत एक व्यक्ति जिसे पार्टी बनाया गया है वह केवल ऐसी दलीलें दे सकता है जो मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के रुप में उपयुक्त हों। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि मृतक कपूर चंद के दो अपीलकर्तागण/कानूनी प्रतिनिधियों, यानी नारायणलाल और देवीलाल ने पक्षकार बनने के लिए आदेश 1 नियम 10 के तहत अदालत में आवेदन किया था, लेकिन उनके आवेदन खारिज कर दिए गए थे। दिवंगत कपूर चंद द्वारा भी एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि उनके बेटों को मुकदमे में शामिल किया जाए लेकिन वह आवेदन भी खारिज कर दिया गया था। इसलिए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं को इस मुकदमे में अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

7. इस मामले में विवादित प्रश्न को आगे बढ़ाने से पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिनांक 12.8.1960 के पंजीकृत विक्रय पत्र में

विवादित दुकान का उल्लेख किया गया है और विक्रय कपूर चंद और उनके बेटों, नारायणलाल, देवीलाल और पुखराज के पक्ष में दिखाया गया था। इसलिए, पंजीकृत विक्रय पत्र से पता चलता है कि खरीददार अकेले कपूर चंद नहीं थे, बल्कि सह-स्वामी के रूप में उनके बेटे भी थे। इसलिए, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कपूर चंद के बेटे भी विवादित संपत्ति के सह-स्वामी हैं। हालाँकि, हम इस सवाल पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं कि क्या वे सह-स्वामी हैं क्योंकि यह दावे में तय किया जाएगा। लेकिन हम निश्चित रूप से इस राय के हैं कि दिवंगत कपूर चंद के कानूनी प्रतिनिधियों को अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने और मुकदमे में सबूत पेश करने के माध्यम से यह बचाव करने का अधिकार है। बेशक, यह बचाव स्वीकार किया जाता है या नहीं, यह विचारण न्यायालय को तय करना है। इसलिए, हमारी राय में, अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने के लिए कपूर चंद के उत्तराधिकारियों के आवेदन को खारिज करके निचली अदालतों ने कानूनी गलती की है।

8. किसी मामले में प्रत्येक पक्ष को लिखित बयान दर्ज करने का अधिकार है। यह प्राकृतिक न्याय के अनुरूप है. सिविल प्रक्रिया संहिता वास्तव में प्राकृतिक न्याय के नियम हैं जो बड़े और विस्तृत विवरण में निर्धारित हैं। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करना है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं को पहले से ही मुकदमे में पक्षकार

बनाया गया है, लेकिन यह अजीब होगा अगर उन्हें बचाव की अनुमति नहीं दी गई। हमारी राय में, आदेश 22 नियम 4(2) सीपीसी की व्याख्या प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए तरीके से नहीं की जा सकती है।

9. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने कस्तूरी बनाम अय्यमपेरुमल और अन्य - (2005) 6 एससीसी 733 में इस न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि इस मामले में यह माना गया है कि संविदा की विशिष्ट अनुपालना के वाद में संपत्ति के व्रिकय के अनुबंध के निष्पादन के मामले में किसी अजनबी या अनुबंध के तीसरे पक्ष को मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है। हमारी राय में, उपरोक्त निर्णय स्पष्ट रूप से भिन्न है। हमारी राय में, उपरोक्त निर्णय का अर्थ केवल यह समझा जा सकता है कि किसी तीसरे पक्ष को विशिष्ट अनुपालना के दावे में शामिल नहीं किया जा सकता है यदि उसके पास विवादित संपत्ति में स्वामित्व की कोई झलक नहीं है। जाहिर है, किसी व्यस्त व्यक्ति या हस्तक्षेपकर्ता को, जिसके पास स्वामित्व का कोई आधार नहीं है, ऐसे मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। इससे मुकदमे की कार्यवाही अनावश्यक रूप से लंबी खिंचेगी या बाधित होगी। तथापि, उपरोक्त निर्णय उस स्थिति में लागू प्रतिवादी नहीं होगा जहां कोई तीसरा पक्ष विवादग्रस्त संपत्ति में स्वामित्व या हित की कुछ

झलक दिखाता है। वर्तमान मामले में, पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 12.8.1960 जिसके द्वारा संपत्ति खरीदी गई थी, से पता चलता है कि विवादित दुकान न केवल कपूर चंद, बल्कि उनके बेटों के पक्ष में भी बेची गई थी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विवादित संपत्ति के खरीदार केवल कपूर चंद ही नहीं बल्कि उनके बेटे भी थे। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि कपूर चंद के बेटों के पास उपाधि की कोई झलक नहीं है और वे केवल व्यस्त लोग या हस्तक्षेपकर्ता हैं। 1960 में संपत्ति खरीदी गई थी, जिससे पता चलता है कि विवादित दुकान न केवल कपूर चंद, बल्कि उनके बेटों के पक्ष में भी बेची गई थी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विवादित संपत्ति के खरीदार केवल कपूर चंद ही नहीं बल्कि उनके बेटे भी थे। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि कपूर चंद के बेटों के पास उपाधि की कोई झलक नहीं है और वे केवल व्यस्त लोग या हस्तक्षेपकर्ता हैं। 1960 में संपत्ति खरीदी गई थी, जिससे पता चलता है कि विवादित दुकान न केवल कपूर चंद, बल्कि उनके बेटों के पक्ष में भी बेची गई थी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विवादित संपत्ति के खरीदार केवल कपूर चंद ही नहीं बल्कि उनके बेटे भी थे। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि कपूर चंद के बेटों के पास उपाधि की कोई झलक नहीं है और वे केवल बाधा डालने वाले या हस्तक्षेपकर्ता हैं।

10. जैसा कि उड़ीसा राज्य बनाम सुधांशु शेखर मिश्रा (एआईआर 1968 एससी 647 पैरा 13 के तहत) में इस न्यायालय ने देखा : -

"एक निर्णय केवल उसके लिए एक प्राधिकार है जो वह वास्तव में निर्णय लेता है। किसी निर्णय में जो सार है वह उसका अनुपात है और न ही उसमें पाया गया प्रत्येक अवलोकन और न ही उसमें किए गए विभिन्न अवलोकनों से तार्किक रूप से क्या अनुसरण होता है। इस विषय पर अर्ल ऑफ हेल्सबरी, एलसी ने क्विन बनाम लीथेम, 1901 एसी 495 में यही कहा है:

अब एलन बनाम फ्लड (1898) एसी 1 के मामले और उसमें क्या निर्णय लिया गया था, उस पर चर्चा करने से पहले, सामान्य चरित्र की दो टिप्पणियाँ हैं जो मैं करना चाहता हूं, और एक यह है कि जो मैंने पहले भी अक्सर कहा है उसे दोहराना है, कि प्रत्येक निर्णय को सिद्ध किए गए विशेष तथ्यों पर लागू होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, या साबित माना जाना चाहिए, क्योंकि वहां पाए जाने वाले अभिव्यक्तियों की व्यापकता पूरे कानून की व्याख्या करने के लिए नहीं है, बल्कि विशेष तथ्यों द्वारा शासित और योग्य है। जिस मामले में ऐसी अभिव्यक्तियाँ

पाई जाती हैं। दूसरी बात यह है कि कोई मामला केवल वही प्राधिकारी है जो वह वास्तव में निर्णय लेता है। मैं इस बात से पूरी तरह इनकार करता हूं कि इसे किसी ऐसे प्रस्ताव के लिए उद्धृत किया जा सकता है जो इसका तार्किक रूप से पालन करता हुआ प्रतीत हो सकता है। तर्क की ऐसी पद्धति मानती है कि कानून आवश्यक रूप से एक तार्किक संहिता है।"

11. अंबिका क्वारी वर्क्स बनाम गुजरात राज्य और अन्य (1987) 1 एससीसी 213 (पैरा 18 के अनुसार) में इस न्यायालय ने कहा: -

"किसी भी निर्णय के अनुपात को उस मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में समझना चाहिए। यह बहुत समय पहले कहा गया था कि कोई मामला केवल इस बात का प्राधिकार है कि वह वास्तव में क्या निर्णय लेता है, न कि उससे जो तार्किक रूप से निकलता है।"

12. भावनगर विश्वविद्यालय बनाम पलिताना शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड में। लिमिटेड (2003) 2 एससी 111 (पैरा 59 के अनुसार), इस न्यायालय ने कहा:-

यह अच्छी तरह से स्थापित है कि तथ्यों या अतिरिक्त तथ्यों में थोड़ा अंतर या अतिरिक्त तथ्य किसी निर्णय के पूर्ववर्ती मूल्य में बहुत अंतर ला सकता है।

13. जैसा कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम एनआरवैरामनी और अन्य (एआईआर 2004 एससी 4778) में कहा गया है, तथ्यात्मक स्थिति का खुलासा किए बिना किसी निर्णय पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उसी फैसले में इस न्यायालय ने यह भी कहा:-

> "न्यायालय को इस बात पर चर्चा किए बिना निर्णयों पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है उसकी तथ्यात्मक स्थिति किस प्रकार फिट बैठती है। न्यायालयों की टिप्पणियों को न तो यूक्लिड के प्रमेयों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और न ही क़ानून के प्रावधानों के रूप में और वह भी संदर्भ से बाहर रखा जाना चाहिए। इन टिप्पणियों को उसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे कही गई प्रतीत होती हैं। न्यायालयों के निर्णयों को क़ानून के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। किसी क़ानून के शब्दों, वाक्यांशों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए, न्यायाधीशों के लिए लंबी चर्चा करना आवश्यक हो सकता है लेकिन चर्चा का उद्देश्य व्याख्या करना है न कि

परिभाषित करना। न्यायाधीश क़ानूनों की व्याख्या करते हैं, वे निर्णयों की व्याख्या नहीं करते। वे विधियों के शब्दों का अर्थ निकालते हैं; उनके शब्दों की व्याख्या क़ानून के रूप में नहीं की जानी चाहिए।"

लंदन ग्रेविंग डॉक कंपनी लिमिटेड बनाम हॉर्टन (1951 एसी 737 पृष्ठ 761 पर), में लॉर्ड मैक डर्मोट ने कहा:

निःसंदेह, इस मामले को केवल विल्स, जे. के इप्सिसिमा वर्ट्रा को इस तरह मानने से नहीं सुलझाया जा सकता जैसे कि वे संसद के एक अधिनियम का हिस्सा थे और उसकी उचित व्याख्या के नियमों को लागू कर रहे हों। इसका उद्देश्य उस सबसे प्रतिष्ठित न्यायाधीश द्वारा वास्तव में इस्तेमाल की गई भाषा को दिए जाने वाले भारी महत्व को कम करना नहीं है। होम ऑफिस बनाम डोरसेट यॉट कंपनी (1970 (2) ऑल ईआर 294) में लॉर्ड रीड ने कहा, लॉर्ड एटकिन का भाषण। इसे ऐसे नहीं माना जाना चाहिए जैसे कि यह एक क़ानूनी परिभाषा थी, इसके लिए नई परिस्थितियों में योग्यता की आवश्यकता होगी। मेगारी, जे. (1971)1 डब्लूएलआर 1062 में कहा गया: किसी को, निश्चित रूप से, रसेल एलजे के एक आरक्षित निर्णय को भी इस तरह नहीं समझना चाहिए जैसे कि यह संसद का एक अधिनियम था और, हेरिंगटन बनाम ब्रिटिश रेलवे बोर्ड (1972 (2) डब्लूएलआर 537) में लॉर्ड मॉरिस ने कहा:

"किसी भाषण या निर्णय के शब्दों को ऐसे मानने में हमेशा जोखिम होता है जैसे कि वे किसी विधायी अधिनियम के शब्द हों, और यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक कथन किसी विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर किये जाते हैं। परिस्थितिजन्य लचीलापन, एक अतिरिक्त या भिन्न तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच ज़मीन-आसमान का अंतर ला सकता है। किसी फैसले पर आंख मूंदकर भरोसा करके मामलों का निपटारा करना उचित नहीं है।"

उदाहरणों को लागू करने के मामले में लॉर्ड डेनिंग के निम्नलिखित शब्द लोकस क्लासिकस बन गए हैं:

"प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर करता है और एक मामले और दूसरे मामले के बीच घनिष्ठ समानता पर्याप्त नहीं है क्योंकि एक भी महत्वपूर्ण विवरण पूरे पहलू को बदल सकता है, ऐसे मामलों का निर्णय लेने में, किसी को मामलों का निर्णय करने के प्रलोभन से बचना चाहिए (जैसा कि न्यायमूर्ति कार्डोज़ो ने कहा था) एक केस के रंग को दूसरे केस के रंग से मिला कर। इसलिए, यह तय करने के लिए कि कोई मामला रेखा के किस तरफ जाता है, दूसरे मामले से व्यापक समानता बिल्कुल भी

निर्णायक नहीं है। *** *** *** मिसाल का पालन केवल वहीं तक किया जाना चाहिए जहां तक यह न्याय के मार्ग को चिह्नित करता है, लेकिन आपको मृत लकड़ी को काटना होगा और किनारे की शाखाओं को छांटना होगा अन्यथा आप खुद को झाड़ियों और शाखाओं में खोया हुआ पाएंगे। मेरी दलील न्याय के मार्ग को उन बाधाओं से मुक्त रखने की है जो इसमें बाधा डाल सकती हैं।"

14. उपरोक्त निर्णयों के मद्देनजर हमारी राय है कि कस्तूरी का मामला (सर्वोच्च न्यायालय) स्पष्ट रूप से अलग है। हमारी राय में इसे एक पूर्ण प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब भी ए द्वारा बी के खिलाफ विशिष्ट अनुपालना के लिए मुकदमा दायर किया जाता है, तो किसी तीसरे पक्ष सी को उस मुकदमे में कभी भी शामिल नहीं किया जा सकता है। हमारी राय में, यदि सी स्वामित्व या हित की उचित झलक दिखाता सकता है तो वह निश्चित रूप से पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर कर सकता है। विपरीत दृष्टिकोण अपनाने से कार्यवाही की बहुलता हो जाएगी क्योंकि तब सी को बी के खिलाफ डिक्री पारित होने तक इंतजार करना होगा, और फिर इस आधार पर डिक्री को रद्द करने के लिए मुकदमा दायर करना होगा कि ए के पास विवाद में संपत्ति पर कोई

स्वामित्व नहीं था। जाहिर है, इस तरह के नजरिए को समर्थन नहीं किया जा सकता।

15. इसके अलावा, केवल इसलिए कि कुछ आवेदन पहले खारिज कर दिए गए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि स्वर्गीय कपूर चंद के कानूनी प्रतिनिधियों को अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वास्तव में, इन कानूनी प्रतिनिधियों को केवल पक्षकार बनाने की अनुमति देने, लेकिन उन्हें अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति नहीं देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमारी राय में, यह स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होगा।

16. उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय के दिनांक 7.1.2000 के साथ-साथ विचारण न्यायालय के दिनांक 6.8.1997 के आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जाता है। अपीलकर्ताओं को अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी और उसके बाद वाद कानून के अनुसार शीघ्रता से आगे बढ़ना चाहिए।

17. अपील स्वीकार की जाती है। खर्चा के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पंकज बंसल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।